



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

28 आषाढ़, 1944 (श०)

संख्या - 325 राँची, मंगलवार,

19 जुलाई, 2022 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

आदेश

14 जून, 2022

आदेश संख्या:-5/आरोप-1-19/2018 का० 3629--श्री नारायण राम, झा०प्र०से० (द्वितीय सीमित बैच, गृह जिलागिरिडीह), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, डोमचाँच, कोडरमा के विरुद्ध उपायुक्त, कोडरमा के ज्ञापांक-154, दिनांक-07.02.2018 द्वारा प्रपत्र-‘क’ में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके विरुद्ध डोमचाँच प्रखण्ड अन्तर्गत तेतरियाडीह पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभुकों के चयन में अनियमितता बरतने, अनियमितता के आलोक में संदिग्ध मामलों के सत्यापन कराने हेतु निर्देश के बावजूद कोई कदम नहीं उठाने, पंचायत सेवक सहदेव यादव द्वारा अनियमितता को संज्ञान में लाने पर उनका स्थानांतरण करने, दीपक कुमार सिन्हा, कम्प्युटर ऑपरेटर को कार्य से हटाने का निर्देश देने के बावजूद उनसे कार्य लिया जाना एवं तेतरियाडीह पंचायत के लाभुकों के निबंधन में पंचायत सेवक से नियमानुसार लाभुकों का निबंधन नहीं करवाने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया ।

2. उक्त आरोपों पर इनसे प्राप्त स्पष्टीकरण एवं ग्रामीण विकास विभाग से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय अधिसूचना सं०-1052(HRMS), दिनांक 24.07.2018 द्वारा श्री राम को निलम्बित किया गया तथा विभागीय संकल्प सं०-1191(HRMS), दिनांक 01.08.2018 द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

3. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-229, दिनांक 06.11.2018 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने मंतव्य श्री राम के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप सं०-1, 2, 3, 4 को सही प्रतीत प्रतिवेदित किया गया तथा आरोप सं०-5 को प्रमाणित नहीं होता है, प्रतिवेदित किया गया।

4. श्री राम के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनका बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत विभागीय अधिसूचना सं०-446(HRMS), दिनांक 05.02.2019 द्वारा श्री राम को निलंबन मुक्त किया गया तथा विभागीय संकल्प सं०-3679(HRMS), दिनांक 12.07.2019 द्वारा सेवा सम्पुष्टि की अर्हता की तिथि से उनके विरुद्ध संचयात्मक प्रभाव से तीन वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया।

5. श्री राम के पत्र, दिनांक 13.09.2021 द्वारा निलंबन अवधि दिनांक 24.07.2018 से 05.02.2019 तक की सेवा विनियमन का अनुरोध किया गया है।

6. चूँकि, श्री राम को जिन आरोपों के लिए निलंबित किया गया था, वे प्रमाणित पाये गये हैं तथा विभागीय संकल्प सं०-3679(HRMS), दिनांक 12.07.2019 द्वारा दण्ड भी अधिरोपित किया गया है।

7. अतः श्री राम के निलंबन अवधि दिनांक 24.07.2018 से 05.02.2019 तक को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-11 के तहत निम्नवत् विनियमित किया जाता है

- (i) निलंबन अवधि में श्री राम को मात्र जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
- (ii) पेंशनादि के प्रयोजनार्थ निलंबन अवधि की गणना कर्तव्य पर बितायी गयी अवधि के रूप में की जाएगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,
सरकार के संयुक्त सचिव।
